संख्या– 2073 / सम–73–2012

प्रेषक,

लालू,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना,
लखनऊ।

समन्वय अनुभाग **लखनऊः दिनांक 7 सितम्बर, 2012**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के द्वितीय चरण के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–716 / वि0 एवं ले0 / 2012, दिनांक 16.07.2012 तथा वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या– बी–1–1515 / दस–2012–231 / 2012, दिनांक 09–07–2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आयोजनागत मद में प्रावधानित धनराशि रूपये–120000 हजार (रूपये बारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष चार माह (अप्रैल से जुलाई 2012 तक) रू0–36666 हजार (रूपये तीन करोड़ छत्तीस लाख छाछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या– 1063 / सम–73–2012, दिनांक 22–05–2012 तथा अगले चार माह (अगस्त से नवम्बर 2012 तक) की वित्तीय स्वीकृति रू0–41667 हजार (रू0–चार करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0–1809 / सम–73–2012 दिनांक 01.08.2012 द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त दोनों शासनादेशों के क्रम में अवशेष धनराशि रू0–41667 हजार (रू0–चार करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) यह धनराशि भारत सरकार / विश्व बैंक के दिशा–निर्देशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार व्यय की जायेगी। विभागों हेतु स्वीकृत धनराशि से मदवार आवंटन परियोजना समन्वयक, डास्प के स्तर से किया जाएगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5, भाग–2 में उल्लिखित प्राविधानों में मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि डास्प की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय की जाएगी। जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है उन्हीं मदों पर विश्व बैंक की गाईडलाइन्स के अनुसार व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।